:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर चिखली जिला डूँगरपूर राजस्थान ::

पीठासीन अधिकारी :— सोनु कुमार गुर्जर आर.ए.एस.

मूकदमा नम्बरः— 2/25

दायर दिनांक—10.02.2025

1. श्री रूपलाल पुत्र नाथू मीणा।
2. श्री गौतम पुत्र नाथू मीणा।
3. श्री वीरेन्द्र पुत्र नाथू मीणा।

निवासीयान उदडिया तहसील चिखली।

वादीगण

बनाम

1. श्री रतनलाल पुत्र वेलजी मीणा।
2. श्री मसुरा पुत्र वेलजी मीणा।
3. श्री बापु पुत्र वेलजी मीणा।
4. श्री चम्पा पुत्र वेलजी मीणा।
   निवासीयान उदडिया तहसील चिखली
5. श्री भूमिधारी तहसीलदार चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान।

दावा अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एवं विपक्षगण संख्या 1 से 4 ग्राम उदडिया तहसील चिखली के निवासी होकर उनके नाम ग्राम उदडिया में खातेदारी भूमि है। विपक्षी संख्या 5 भूमिधारी तहसीलदार चिखली है।

यह कि प्रार्थीगण के नाम ग्राम उदडिया की जमाबंदी संवत् 2074—77 के खाता संख्या नया 220 पुराना 65 में खसरा नम्बर 927, 928, 929, 930 कमशः रकबा 0.0809 है0, 0.7605 है0, 0.0971 है0, 0.0647 है0 भूमि दर्ज रिकॉर्ड है।

यह कि प्रार्थीगण की उक्त भूमि एक चक में स्थित होकर इसमें कृषि कार्य किया जा रहा है तथा इस आराजियात कृषि भूमि पर कृषि कार्य हेतु संसाधन ट्रेक्टर वगैरा लाने व ले जाने हेतु विपक्षीगण संख्या 1 से 4 के खातेदारी की आराजी भूमि खसरा नम्बर 968 रकबा 0.0890 किस्म मगरी बीड व 973 रकबा 0.1133 किस्म पडत में होकर वर्षो से जाना आना किया जा रहा है, जिसमें खोतदार/विपक्षीगण संख्या 1 से 4 द्वारा अब विरोध किया जाने लगा है, जिससे प्रार्थीगण के लिये यह आवश्यक हो गया है किवह अपने आवगमन एवं कृषि कार्य हेतु संसाधन ट्रेक्टर वगैरा के लाने ले जाने हेतु राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करवा लेवे, जिससे पक्षकारों में आपस में कोई विवाद नहीं रहे तथा प्रार्थीगण को भी किसी अवरोध का सामना नहीं करना पड़े।

यह कि प्रार्थीगण की उपरवर्णित खोतदारी भूमि में आवागमन हेतु विपक्षीगण संख्या 1 से 4 की खातेदारी भूमि आराजी खसरा नम्बर 968 व 973 से होकर 4 मीटर चौडा व लम्बाई में जो सही नाप हो, उसके अनुसार नियमानुसार रास्ता उपलब्ध कराना आवश्यक है, जिससे प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में बगैर किसी रोकटोक अथवा अवरोध के आवगमन कर सके एवं कृषि कार्य हेतु आवश्यक संसाधन व ट्रेक्टर वगैरा लाना ले जाना कर सके।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से प्रेमपुरा गोस्वामी द्वारा पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बाद तामिल अनुपस्थित। तहसलीदार चिखली से जवाब मंगवाया गया।

तहसीलदार चिखली के पत्र कमांक/राजस्व/2025/152 दिनांक 08.07.2025 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार चिखली की रिपोर्ट में तहसील राजस्व लेखाकार की गणना अपूर्ण होने से पूनः मंगवाई गई। तहसीलदार चिखली के पत्र कमांक/टीआरए/2025/461 दिनांक 01.10.2025 के द्वारा संशोधित गणना रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट अनुसार मौजा उदडिया के खाता संख्या 220 जमाबंदी संवत 2074—77 के खसरा नम्बर 927, 928, 929, 930 रकबा कमशः 0.0809 है0, 0.7605 है0, 0.0971 है0, 0.0647 है0 कुल रकबा 1.0032 है0 वादीगण श्री रूपलाल गौतमलाल वीरेन्द्र पिता नाथू वगैरह के नाम राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है। वादीगण की उक्त भूमि एक चक में स्थित है इसमें कृषि कार्य हेतु संसाधन लाने ले जाने हेतु प्रतिवादीगण श्री रतनलाल पि. वेलजी मीणा वगैरह के खसरा नम्बर 968 रकबा 0.0890 है0 किस्म मगरी बीड एवं खसरा नम्बर 973 रकबा 0.1173 है0 किस्म पडत से रास्ता प्रयोजनार्थ भूमि उपयोग ले रहे थे किंतु पिछले कुछ समय से उक्त रास्ता को खातेदार/प्रतिवादीगण ने अवरोध कर दिया है। तथा उक्त रास्ते के अलावा वादीगण को आवागमन हेतु अन्य रास्ता उपलब्ध नहीं है।

वादीगण श्री रूपलाल वगैरा की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 927, 928, 929, 930 में आवागमन हेतु प्रतिवादीगण के खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 968 एवं 973 से होकर 4 मीटर चौडा एवं लम्बाई मे क्रमशः आराजी नम्बर 973 में 24 मीटर तथा आराजी नम्बर 968 में 24 मीटर नियमानुसार रास्ता उपलब्ध करवाना आवश्यक है। वादीगण के आराजीयात किता 4 रकबा 1.0032 है0 तक पहुंय हेतु प्रतिवादीगण के आराजी नम्बर 973 में 4 मीटर चौडाई 24 मीटर लम्बाई कुल 96 वर्ग मीटर एवं आराजी 968 में 4 मीटर चौडाई 24 मीटर लम्बाई कुल 96 वर्ग मीटर भूमि आवश्यक होगी। तहसील राजस्व लेखाकार की गणना अनुसार उक्त प्रस्तावित रास्ते की कुल राशि 18280/– रूपये है।

प्रार्थना पत्र का गहन अध्ययन किया गया। तहसीलदार चिखली के जवाब पर वादी के वाद में वर्णित पहलूओं पर गम्भीरता से मनन किया गया। प्रकरण में तथ्यों के आधार पर उक्त रास्ता लम्बे समय से चला आ रहा है इसके अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं हैं।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 क के अन्तर्गत डीएलसी दी की दुगुना राशि 18280/– रूपये जमा कराने पर तहसीलदार चिखली को प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को तय निर्धारित राशि जमा कराने के पश्चात प्रस्ताव अनुसार मौजा उदडिया के खातेदार श्री रतनलाल, मसुरा, बापु एवं चम्मा के खाता संख्या 115 आराजी नम्बर 973 में 4 मीटर चौडाई 24 मीटर लम्बाई कुल 96 वर्ग मीटर एवं आराजी 968 में 4 मीटर चौडाई 24 मीटर लम्बाई कुल 96 वर्ग मीटर (कुल 192 वर्ग मीटर) को राजस्व रिकॉर्ड में निम्नानुसार रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश जाता है–

- उक्त रास्ता को गैरमुमकिन रास्ता व सिवायचक खाता संख्या 01 में दर्ज किया जावें।
- रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ होगा।
- खसरा नम्बर 973 एवं 968 में से रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबा को कम किया जावें।

अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 01.10.2025 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(सोनु कुमार गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
चिखली